न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
12/23	एफएसएस एक्ट, 2006	16/08/2023

1. जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी करौली

–आवेदक

बनाम

1. श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल उम्र 48 साल निवासी मैन मार्केट गुढाचन्द्रजी करौली मालिक विक्रेता मैसर्स बृजमोहन देवेन्द्र कुमार किराना स्टोर टोडाभीम मोड गुढाचन्द्रजी ,करौली मोबाईल नं0 9983053315

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक:– 10.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 14.06.2023 को लगभग 11:00 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स बृजमोहन देवेन्द्र कुमार किराना स्टोर टोडाभीम मोड गुढाचन्द्रजी पहुँचा। जहां देवेन्द्र कुमार पुत्र मदन लाल उम्र 48 साल दुकान चलाता मिला। जिसे आवेदक ने अपना परिचय दिया। दुकान पर गत्ते के कार्टून में करीब 9 किलोग्राम किशमिश (लूज) में से आम जनता को विकय कर रहा था तथा उक्त खाद्य पदार्थ किशमिश (लूज) की जांच की तो आवेदक को मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता खाद्य पदार्थ किशमिश (लूज) में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये।

आवेदक द्वारा दुकान पर गत्ते के कॉर्टून में करीब 9 किलोग्राम किशमिश (लूज) में से 1 किलोग्राम किशमिश (लूज) को एक छोटी साफ सुखी ट्रे में नकद 250 रू0 देकर खरीदी।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर कार्यालय में पहूंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक प्रति पर वह नमूना सिल लगाया गया । जिससे नमूना बोटलों को सिल कर तैयार किया। एक सील बन्द बोटल को फार्म नं0 6 की एक प्रति सहित आउटर कवर में लेपटकर सील बन्द व मोहर व पूर्ण विवरण अंकित कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियॉं एक लिफाफें में रखकर सील व चपड़ी मोहर कर खाद्य विश्लेषक भरतपुर राजस्थान में कार्य दिवस 15.06.2023 को राजाराम माली सहायक कर्मचारी द्वारा जमा कराया। शेष 2 सीलबन्द नमूना बोतलों को फार्म नं0 6 की 2 प्रतियों सहित आउटर कवर में लेपटकर तथा नमूना का चौथा भाग फार्म नं0 6 की प्रति सहित सील बन्द मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी करौली को स्वयं ने दिनांक 14.06.2023 को जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के पत्र कमांक/एमएसएसए/2023/1900 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/718 /एक्ट/2023/762 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ किशमिश (लूज) अवमानक प्रकृति का पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/718 /एक्ट/2023/762 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित । अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए जबाव पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने अपना जवाब पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा किसमिस (लूज) आम जनता को विक्रय नहीं किया जाता है। पत्रावली पर फार्म सं0 5 ए जो संलग्न है जिसमें नियमानुसार खाद्य करोबार कर्त्ता एवं उक्त नमूने का उत्पादक एवं निर्माता की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। जबकि फार्म नं0 5ए कही पर भी उत्पादक एवं निर्माण का वर्णन नहीं है। उक्त फार्म सं0 5ए में जो ग्वाह बनाये गये है केवल मात्र खानापूर्ति के लिए उनके हस्ताक्षर करवाये गये है उनका विस्तृत विवरण भी फार्म सं0 5 ए में अंकित नहीं है। आवदेक द्वारा प्रस्तुत फर्द रिपोर्ट में कही भी अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त के सामने कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अभियुक्त किसमिस का कोई निर्माता एवं उत्पादक नहीं है। वह तो एक छोटा सा दुकानदार है। जिसने उक्त किसमिस को अपने घरेलु कार्य के लिए लेकर रख रखी थी। कोई विक्रय के लिए नहीं थी। ना हि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के सामने किसी व्यक्ति विशेष को विक्रय करते पाया गया है, साथ ही वकील अभियुक्त ने उक्त प्रकरण में अभियुक्त को दोष मुक्त कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/718 /एक्ट/2023/762 दिनांक 21.06.2023 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिथ्याछाप प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है, आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था तथा पत्रावली में संलग्न फर्द रिपोर्ट का अवलोकन किया गया उक्त फर्द रिपोर्ट में आवेंदक का नाम स्पष्ट अंकित होना पाया गया है तथा पत्रावली में संलग्न मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली के पत्र.ांक एफ.एस.एस.ए/2023/1900 दिनांक 05.07.2023 से स्पष्ट है कि आवेदक को उक्त जांच रिपोर्ट की अपील हेतु नियमानुसार समय प्रदान किया गया था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...10.06.2024 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी